

सीएसआईआर-केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी (राज.)

No. 1(35)/2013-Vig.


दिनांक: 29.12.2025

कार्यालय जापन

विषय: वर्ष 2025 के लिए वार्षिक संपत्ति विवरण (Annual Property Return) समय पर प्रस्तुत करने के संबंध में - समूह 'क' एवं 'ख' अधिकारियों हेतु।

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(1)(ii), जो परिषद कर्मचारियों पर लागू है, तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय जापन सं. 11012/11/2007-Estt.A दिनांक 27.09.2011 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 दिसंबर 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण CSIR-CEERI (जोनल केंद्रों सहित) के समूह 'क' एवं 'ख' अधिकारियों एवं कर्मचारियों से देय है। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत लेवल-6 एवं उससे ऊपर के सभी समूह 'क' एवं 'ख' अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपना संबंधित वार्षिक अचल संपत्ति विवरण स्थापना अनुभाग-I (सतर्कता) निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में अनिवार्य रूप से 31 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत करें।

इस संदर्भ में DoPT के कार्यालय जापन सं. 11012/11/2007-Estt.A दिनांक 27.09.2011 की ओर पुनः ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा यह दोहराया जाता है कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी वर्ष 2025 के लिए अपना वार्षिक अचल संपत्ति विवरण समय पर प्रस्तुत नहीं करता/करती है, तो उसे सतर्कता अनापत्ति (Vigilance Clearance) प्रदान नहीं की जाएगी।


(मधुरजन पाण्डेय)
प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि:

1. समूह 'क' व 'ख' के सभी अधिकारी;
2. निदेशक/प्रशा.निय./प्रशा.अधि के व्यक्तिगत सहायक;
3. प्रभारी - चेन्नै/जयपुर केन्द्र, दिनांक 05.02.2026 तक सभी विवरणी (मूल/प्रतिलिपि) संस्थान को भिजवाना सुनिश्चित करें;
4. सूचना पट्ट;
5. AIT समूह - कृपया इस का. जा. को संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें;
6. कार्यालय प्रति